असाधारण

रजिस्ट्रेशन नं. जे के—33

सत्यमेव जयते

जम्मू और कशमीर अधिकारिक राजपत्र

खंड—138] जम्मू, बुधवार, 08 अक्तूबर, 2025 / 16 अश्विन, 1947. [सं. 28-26

इस भाग को अलग पृष्ठीकरण दिया गया है ताकि इसे एक अलग संकलन के रूप में दर्ज किया जा सके ।

भाग II—सी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचनाएं, सूचनाएं एवं आदेश।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001

दिनांक : 08 अक्तूबर, 2025

16 अश्विन, 1947 (शक)

अधिसूचना

429 / जेएंडके. / 2022 :— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 ख की उप धारा (1) के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निर्देश देता है कि जम्मू—कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित समय—समय पर यथा संशोधित

दिनांक 13 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 429/जेएंडके/2022 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएगे।

उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, स्तम्भ संख्या 1 में उल्लिखित विधानसभा क्षेत्रों के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी।

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2
77—नगरोटा	सहायक आयुक्त (राजस्व), जम्मू

यह अधिसूचना उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप निर्वाचन, 2025 के सम्पन्न होने तक कार्यशील रहेगी। तदुपरांत, मूल अधिसूचना सं. 429/जेएंडके./2022 दिनांक 13 जून, 2022 उसी रूप में पुनः प्रभावी हो जाएगी।

आदेश से,

ह./-

सुमन कुमार दास
सचिव

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित ।

ह./-

अनिल सलगोत्रा (ज.क.प्र.से.),

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
जम्मू—कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र।